

आयन्दा दिनांक 25-9-19 को पेश हो। परिवारों गण न संकन
कास सामील जात हो।
रीडर

25-9-19

वर्गीकृत कास उपरि-पु. परिवारों-
गण सं. समकस गन फेरी दिनांक
का जात हो चुके थे। परिवारों
गण सं. 1, 9, 13, 10/1, 10/2, 14/2,
14/4, 21 एवं 54 से 57 की ओर
रु. उनके अधिकारक शी पदपूर्वकों
के व कालत नामा एवं इकावालिप।
जवाब मय काऊटल कर्मांक बाबर
मपना आता विभाजन की शी
जात हो चुके किमा। परिवारों
सं. 53 पु. महेरी न एवं
उपरि-पु. गन इकावालिप।
जवाब एवं बाबर मय

R.T.

निर्देश किया कि उनका दावा मात्र
 खाना विभाजन का है एवं किसी भी
 फर्निचर वगैरे द्वारा दावे का विरोध
 पेश नहीं किया गया है। अतः वादियों
 का यह खाना विभाजन का दावा
 पूरी रकम पर स्वीकार कर लिया जाने
 की अनुमति है।
 एतत् पत्रवली का अन्त-

पूर्वक अवलोकन किया कि
 वादियों का यह दावा DISBURTMENT
 स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार
 किया जाता है। विरुद्ध विधि
 पूर्वक से लिखा जा चुका है
 इतना ही सुनाया गया एवं शान्ति
 पत्रवली किया जाता गया।
 पत्रवली वाद नहीं ब तकमान
 दावे पर कृपया भी जानें
 बताने इतना ही सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 नोखा (बीकानेर)

